सं. 1-2/Misc.Corres./18 दिनांकः 17.12.2019

परिपत्र सं. फैप /29/2019

नई एवं मौजूदा परिसंपत्तियों हेतु मूल्यह्रास सीमा दर्ज करने का प्रावधान।

कृपया मुख्यालय के दिनांक 11.12.2019 परिपत्र सं. 1278/Accts का संदर्भ लें, जिसमें कुल लागत के 5% पर परिसंपत्तियों (भूमि के अतिरिक्त, अमूर्त परिसंपत्तियां आदि) का शेष मूल्य निर्धारित है। तदनुसार, कुल मूल्यह्रास हिस्टोरिकल (historical) लागत के 95% से अधिक न हो।

यह पाया गया है कि मौजूदा परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास हुआ है चूंकि प्रणाली में कोई वसूली योग्य लागत अथवा मूल्यह्रास सीमा नहीं है। परिसंपत्तियों की कुछ वसूली योग्य लागत का रख-रखाव करने के लिए मूल्यह्रास सीमा कैप्चर करने के लिए प्रणाली में प्रावधान किया गया है।

लेखा देय अथवा स्थायी परिंसपत्तियों मॉड्यूल के माध्यम से नई परिसंपत्ति बनाये समय तथा मौजूद परिसंपत्तियों हेतु भी, यूजर को प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास सीमा टाइप कर स्थायी परिसंपत्ति मॉडयूल के बुक फार्म के अंतर्गत मूल्यह्रास सीमा को दर्ज (enter) करने की आवश्यकता है।

एक बार मूल्यह्रास सीमा set (95%) कर दी है, कुल मूल्यह्रास रिजर्व परिसंपत्ति की लागत के 95% अधिक नहीं हो। मौजूदा पूर्ण मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों हेतु, परिसंपत्ति की वसूली योग्य लागत का रख-रखाव करने के लिए सिस्टम विशेष कर मूल्यह्रास की राशि का रोल बैक कर देगा।

उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैः-

मौजूदा परिसंपत्तियों हेतु (परिशिष्ट-'क')-

1. FA मॉड्यूल की परिसंपत्ति वर्कबैंच में परिसंपत्ति सर्च करें।
2. बुक फार्म ओपन करें तथा 01 अप्रैल 2019 अथवा डीपीआईएस की ऋणमुक्ति तिथि लेने के पश्चात, जो भी बाद में हो, अपेक्षानुसार मूल्यह्रास सीमा का चयन करें।
3. रन (run) मूल्यह्रास।

FA मॉड्यूल के माध्यम से नई परिसंपत्तियां एडिशन हेतु।(परिशिष्ट-क)

1. परिसंपत्ति विवरण फार्म के अंतर्गत विवरण निर्धारित करने के पश्चात, सिस्टम स्वतः बुक फार्म खोलेगा।

2. बुक फार्म के अंतर्गत, 01 अप्रैल 2019 अथवा डीपीआईएस की ऋणमुक्ति तिथि लेने के पश्चात जो भी बाद की हो, अपेक्षानुसार मूल्यह्रास सीमा का चयन करें।
3. रन (run) मूल्यह्रास।

मास एडिशन (mass addition) अर्थात् AP माड्यूल के माध्यम से प्रविष्टियां (entries) की जाए, नई परिसंपत्तियां एडिशन हेतु। **(परिशिष्ट-ख)**

1. Mass addition तैयार कर और Mass addition windows के परिसंपत्ति विवरण टैब के अंतर्गत विवरण डालने के पश्चात प्रायः परिसंपत्ति add करें।
2. उसके बाद Mass addition window के मूल्यह्रास टैब में जाएं, अपेक्षानुसार मूल्यह्रास सीमा टाइप एवं प्रतिशत का चयन करें।

मौजूदा परिसंपत्ति के पुनः वर्गीकरण हेतु। (परिशिष्ट-ग)

1. Mass Change form में पहले व पश्चात दोनों कॉलम के अंतर्गत मूल्यह्रास सीमा टाइप एवं प्रतिशित enter करने का विकल्प है।
2. अपेक्षानुसार पहले व बाद के कॉलमों के अतर्गत मूल्यह्रास सीमा टाइप एवं प्रतिशत डालें।

(अमित अग्रवाल)
उप महाप्रबंधक(फैप)

वितरणः-

1. मु.म.प्र.(वित्त/ए/सी/आई.ए./निधि), मुख्यालय।
2. सभी म.प्र.(एफ एंड ए), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय(उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर पूर्व।
3. सभी म.प्र. (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सभी मंडल प्रबंधक।
5. निदेशक, आईएफएस, गुडगांव, हरियाणा।
6. गार्ड फाइल।